न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 47/25 GCMS NO 2025/158

1. अतर सिह पुत्र कजोडया
2. लोहरी पत्नि कजोडया जातियान मीना निवासीयान कोडर तहसील व जिला करौली
अपीलांट

बनाम

1. राम सिह
2. रामस्वरूप पुत्रान आनंद जातियान मीना निवासीयान कोडर तहसील व जिला करौली
3. तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली
रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 77/22 निर्णय दिनांक 6.5.25 न्यायालय सहायक कलेक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री श्याम सुन्दर शर्मा

दिनांक 16.10.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 6.5.25 न्यायालय सहायक कलेक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे सायलान/अपीलांटगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 761 रकबा 14 विस्वा एवं खसरा न0 762 रकबा 3 विस्वा गैर मुमकिन चाह अलमसूर चोवे वाली वाके ग्राम कोडर तहसील व जिला करौली मे स्थित है। जिसका साबिक खसरा न0 156 है। विवादित आराजी सम्वत 2010 लगायत 2013 मे लखुआ व भौरू पिसरान भोला का 1/4 हिस्सा है। सायल न0 1 का पिता नाबालिंगी छोड जाने के बाद सायल संख्या 2 ने ही पाला पोसा। सायलान अपने पिता कजोडया के जीवनकाल से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। गैरसायलान न0 1 व 2 के पिता आनंद व आनंद के पिता किशोर राजस्व अधिकारियो से मिलकर बिना किसी अधिकार से उक्त आराजीयात को सेटलमेंट विभाग से मिलकर गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करवा ली। जबकि गैरसायलान न0 1 व 2 का उक्त आराजीयात से कोई वास्ता संबंध नही रहा है। सायलान द्वारा गैरसायलान को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा तो गैर सायलान झगडा करने पर आमादा हो गये तथा कहा कि भूमि की खातेदारी हमारे नाम है तुम्हारा कोई लेना देना नही है। इस प्रकार सायलान द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त किये जाने पर मालुम हुआ कि वक्त सेटलमेंट विभाग ने गैरसायलान के पिता के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। गैरसायलान द्वारा भूमि पर जबरन पत्थर डालकर निर्माण किया जा रहा है। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात मे सायलान के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करे तथा विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुंआ अधिनस्थ न्यायालय मे सायलान/अपीलांटगण द्वारा पेश की जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। निर्णय पूर्णतय आर्वीटेटरी व परवर्स रेस्पो है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी खसरा न0 761 रकबा 14 विस्वा एवं खसरा न0 762 रकबा 3 विस्वा गैर मुमकिन चाह अपीलांट 1 के पितामह एवं अपीलांट संख्या 2 के ससुर लखुआ व उसके भाई भौरू पुत्र भोला जाति मीना निवासी कोडर के समय की 1/4 हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी है। भौरू पुत्र भोला लाऔलाद फौत हो चुका है जिसके वारिसान अपीलांट है। अपीलांट उक्त आराजीयात पर पितामह लखुआ व उसके भाई भौरू व पिता व पति कजोडया के जीवनकाल से आज दिवस तक काबिज काश्त है। कजोडया का भाई गुलाब पुत्र लखुआ ,कलुआ मीना कोडर के गोद चला गया और वह कलुआ की जायदाद पर काबिज बतौर दत्तक पुत्र है। 1/4 हिस्सा भूमि वादग्रस्त से प्रतिवादी न0 1 व 2 का कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध नही है। भूमि अपीलांट के पितामह लखुआ व उसके भाई भौरू के नाम सवंत 2010 से 2013 मे राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज है जिसका साबिक ख0न0 156 है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का भूमि मे कोई हक एवं कब्जा नही होना अपने विवेचन मे गलत दर्ज कर जैर अपील निर्णय विधि विरूद्व पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात मे रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता आनंद व आनंद के पिता किशोर पुत्र सोजी के हक मे वक्त सेटलमेंट सवंत 2015 मे अपीलांट के 1/4 हिस्से के अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज दर्ज हुए है जो हक हकूक अपीलांट पर प्रारंभ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है। सेटलमेंट विभाग को व सेटलमेंट कर्मचारियो को वादग्रस्त आराजीयात के संबंत 2015 से पूर्व के इन्द्राज जमाबंदी को बदलने का कोई विधिक अधिकार सक्षम न्यायालय के आदेश के नही है। बल्कि सेटलमेंट विभाग व सेटलमेंट कर्मियो को सेटलमेंट से पूर्व दर्ज राजस्व रिकार्ड के खातेदारी इन्द्राज की पुनरावृति करने का दायित्व है। भूमि वादग्रस्त अपीलांट के 1/4 हिस्से खातेदारी की पुश्तैनी है जिस पर अपीलांट काबिज काश्त बतौर खातेदार है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय विधि विरूद्व रूप से पारित कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट खारिज करने मे भारी कानूनी भूल की है। जो जैर अपील निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 दौराने अपील वादग्रस्त आराजीयात मे अवैध निर्माण करने पर आमादा है जौर मजदूर लगाकर निर्माण कार्य चालू कर दिया है। इसलिए रेस्पो0 को वादग्रस्त भूमि मे निर्माण कार्य नही करने हेतु पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर रेस्पो0 को पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करे तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है बल्कि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पो0 का विगत 80 से 90 वर्षो से लगातार कब्जा व खातेदारी चली आ रही है। मौके पर पांच कमरे व

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तीन दुकाने ,तीन गह पाटोर व रिहायशी मकान तथा महोदव का स्थान बना हुआ है। वादग्रस्त आराजीयात कभी भी काश्त मे उपयोग मे नही आई है। आराजी खसरा न0 762 मे 20–25 साल पहले का कुआ बना हुआ है। उक्त आराजीयात मे अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है ना ही कभी रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा काश्त नही माना है। बल्कि गैरसायलान/रेस्पो0 के रिहायशी मकान बने होने से रेस्पो0 का कब्जा सिद्व होना माना है। अपीलांट का किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया केस साबित नही माना है एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पो/गैरसायलान के पक्ष मे बखूबी सावित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 761 व 762 कुल किता 2 कुल रकबा 17 विस्वा वाके ग्राम कोडर वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो/गैरसायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 मे विवादित आराजीयात इन्दर,रतनलाल,सुन्दर ।पेसंरान गैदा हिस्सा 1/2 व कलुआ ,भौरू पिसरान भोला हिस्सा 1/4 तथा किशनलाल बल्द पांच्या हिस्सा 1/4 के नाम खातेदारी मे दर्ज है। अपीलांट द्वारा जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 मे दर्ज सहखातेदारो को ना तो अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाया गया ना ही अपील मे पक्षकार बनाया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील पक्षकारो के कुसंयोजन से भी बाधित है। वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे के सबंध मे अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नही किया है जिससे वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा सिद्व हो सके। जबकि रेस्पो0 का उक्त आराजीयात पर पुख्ता निर्माण यथा दुकाने ,तीन गेह पाटोर आदि बना होने से उनका कब्जा सिद्व होने के तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय मे भी माना है। इस प्रकार अपीलांट कब्जे के अभाव मे प्राईमाफेसी केस साबित नही होता है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा अपीलांट का नही होने से अपीलांट को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना प्रतीत नही होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही सायल का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नजर नही आने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 77/22 मे पारित निर्णय दिनांक 6.5.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.25 को लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:24 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner